फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेडा जिला बून्दी

शैलेन्द्र कुमार बनाम सरकार

किस्म मुकदमा:- 251(क) रा.का.अ. नं. 624 / प्रा0पत्र / सत्र / 2026

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11/3/26	प्रार्थना पत्र सरिश्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थी मय वकील उपस्थित है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 25/3/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/3/26	वकील प्रार्थी उप.। तलबी रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी रिपोर्ट दिनांक 13/4/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13/4/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः आगामी साधिक कार्यवाही हेतु दिनांक 16/4/26 को पेश हो। रिपोर्ट TDR व जवाब पेरोकार सरकार प्राप्त हो।	
16/4/26	वकील प्रार्थी उप०। TDR रिपोर्ट एवं जवाब पैरोकार सरकार पूर्व पेशी पर प्राप्त होने के बाद प्रा०पत्र सुनी गयी प्रा०पत्र प्रार्थी वास्ते नवीन रास्ता खोलने बाबत स्वीकार कर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

...ल नं0 524/प्रा0पत्र/2026 | तारीख दायरा 11.03.2026 | तारीख फैसला 16.04.2026

सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल जाति खटीक नि0 बी. 180/17 अमृतपुरी गढी गली नं. 17 ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू देहली 65 --प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान। –अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री नन्दसिंह सौलंकी

अधिवक्ता अप्रार्थी :- पेरोकार सरकार

निर्णय

(अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा स. 637/133 रकबा 0.5261 हैक्टेयर वाके ग्राम छपावदा तहसील तालेडा जिला बूंदी में विस्थित है। भूमि ख0सं0 637/133 में आने जाने के लिए कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए रास्ता मोजूद नही है जिस पर आने जाने के लिए भूमि ख0सं0 980/135 रकबा 0.1092 हेक्टे0 वाके ग्राम छपावदा में से 30 फिट चौडा नया मार्ग सृजित होगा। अप्रार्थी की भूमि पर 30 फीट चौडाई का नवीन मार्ग सृजित नही किया गया तो रास्ते के अभाव में हमेशा के लिए पडत रह जायेगी। इससे भारी अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थी द्वारा सहमति से रास्ता देने से मना करने पर वाद कारण उत्तन्न हुआ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा स. 637/133 रकबा 0.5261 हैक्टेयर वाके ग्राम छपावदा में कृषि उपकरणो को लाने ले जाने के लिए भूमि ख0सं0 980/135 रकबा 0.1092 हेक्टे0 वाके ग्राम छपावदा में से 30 फीट चौडाई का नया मार्ग सृजित कर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर गैरमुमकिन रास्ते के रूप में नोट अंकित करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 1124 दिनांक 09.04.2026 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित किया गया पहच मार्ग खसरा सं. 637/133 तक पहुंच मार्ग हेतु न्युनतम है तथा अन्य कोई रास्ता पूर्व में उक्त ख.सं. तक पहुंच हेतु राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। प्रस्तावित रास्ता ख.सं. 980/135 रकबा 0.1092 हेक्टे. किस्म नहरी राजकीय सिवायचक भूमि से गुजरेगा। उक्त खसरे हेतु 30 फिट चौडाई का रास्ता देते हुए कुल 0.0175 हेक्टे. भूमि दर्ज होगी। रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि ख.सं. 980/135 से बारिश के पानी से बहाव मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही होने की शर्त पर रास्ते के लिए दिए जाने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तावित मार्ग हेतु सहमति व्यक्त की।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में नकल जमाबंदी खाता संख्या नया 285 पुराना 187 ख0सं0 637/133 वाके ग्राम छपावदा पटवार हल्का बाजड सम्वत् 2076 एवं नकल जमाबंदी खाता संख्या 1 वाके ग्राम छपावदा पटवार हल्का बाजड सम्वत् 2076 की प्रति पेश की।

वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंच हेतु न्युनतम रास्ता तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार

है अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि पर नही होने से प्रार्थी को अपनी भूमि पर पहुंच हेतु उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंच हेतु न्युनतम होना अवगत कराते हुए रास्ता हेतु सहमति व्यक्त की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंच हेतु वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। तहसीलदार तालेडा द्वारा न्यूनतम दूरी का प्रस्तावित रास्ता ख0सं0 980/135 रकबा 0.1092 हेक्टे0 वाके ग्राम छपावदा में से गुजरता है। उक्त पहुंच मार्ग हेतु 30 फीट चौडाई का रास्ता देने हेतु ख0सं0 मे से 0.0175 हैक्टे0 भूमि दर्ज होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 637/133 रकबा 0.5261 हैक्टेयर वाके ग्राम छपावदा पटवार मण्डल बाजड तहसील तालेडा में आने-जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए सिवायचक आराजी खसरा संख्या 980/135 रकबा 0.1092 हेक्टे0 वाके ग्राम छपावदा में से 0.0175 है0 भूमि संलग्न नक्शा अनुसार नया मार्ग सृजित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित किया जावे तथा रास्ता का सीमांकन किया जावे। राजस्व अभिलेखों में उक्त रास्ता दर्ज करने से पूर्व प्रार्थीगण से रास्ते में उपयोग आने वाली भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 राशि का दुगुना राजकोष में नियमानुसार जमा किया जावे तत्पश्चात् राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता अभिलिखित किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते के रूप मे दर्ज होने वाली भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में ही करेंगे, उस रास्ते पर कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। उक्त रास्ता रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि ख.सं. 980/135 से बारिश के पानी से बहाव मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही होने की शर्त के अध्याधीन रहेगा। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार तालेडा एवं प्रार्थीगण को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा